Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमन्द में वरिष्ठ सहायक 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *17 अगस्त, बुधवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमन्द इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये भुपेन्द्र पाल सिंह वरिष्ठ सहायक रा.उ.मा.विद्यालय, ठीकरवास कलां, तहसील भीम, जिला राजसमन्द को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमन्द इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पेंशन प्रकरण को ऑनलाईन करने की एवज में भुपेन्द्र पाल सिंह वरिष्ठ सहायक रा.उ.मा. विद्यालय, ठीकरवास कलां, तहसील भीम, जिला राजसमन्द द्वारा **12 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी राजसमन्द इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए भुपेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री चैन सिंह निवासी टाटगढ़, जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक रा.उ.मा.विद्यालय, ठीकरवास कलां, तहसील भीम, जिला राजसमन्द को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा आज ही शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से से 2 **हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे, वह रिश्वत राशि भी आरोपी से बरामद की जा चुकी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।